सं. जेड-14014/2/2024-जीसी एण्ड पार्लि.(ई-3013743)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011,

दिनांक: 25.06.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मई, 2024 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को मई, 2024 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
2. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा संचार) के निजी सचिव।

भूमि संसाधन विभाग द्वारा माह मई 2024 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार

1. सचिव, भूमि संसाधन ने दिनांक 13 से 17 मई, 2024 तक वॉशिंग्टन डीसी में विश्व बैंक के भूमि सम्मेलन में भाग लिया। उक्त सम्मेलन में भूमि प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में अन्य देशों की विभिन्न नवोन्मेषी प्रथाओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

2. विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कार्य योजना और व्यय की प्रगति सहित डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के संबंध में राज्यों/संघ रांज्य क्षेत्रों के साथ दिनांक 21 मई, 2024 को एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों और अधिकारियों ने भाग लिया। विभाग द्वारा राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) के कार्यान्वयन और उक्त प्रणाली को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने की समीक्षा करने के लिए दिनांक 29 मई, 2024 को एक बैठक का आयोजन किया गया।

3. विभाग द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की समीक्षा करने और उसमें संशोधन का सुझाव देने के लिए विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के साथ दिनांक 9 मई, 2024 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

4. सचिव, भूमि संसाधन द्वारा डीएवाई-एनआरएलएम के साथ डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के प्रभावी समामेलन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 2 मई, 2024 को एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भूमि संसाधन विभाग द्वारा मनरेगा के तहत राज्यों में समामेलन कार्यकलापों की स्थिति को समझने के लिए दिनांक 15 मई, 2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वीडियो कोन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक का आयोजन किया गया। भूमि संसाधन विभाग ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत आजीविका घटक के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 16 और 17 मई, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया।

5. विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के मध्यावधि मूल्यांकन के संबंध में दिनांक 16 मई, 2024 को एक बैठक का आयोजन किया। विश्व बैंक की टीम, रिवार्ड राज्यों, एनआरएए और इसके कॉन्सोर्टियम साझेदारों के साथ दिनांक 16 मई, 2024 को एक अन्य बैठक का आयोजन किया गया। सचिव, (भूमि संसाधन) ने स्प्रिंगशेड प्रबंधन के तहत विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में दिनांक 22 मई, 2024 को आईसीआईएमओडी के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया।

6. विभाग द्वारा महाराष्ट्र में शूल-रहित कैक्टस को बढ़ावा देने और केक्टस बायोमास के लिए सीबीजी/ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की संभावना का पता लगाने के लिए दिनांक 30 मई, 2024 को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया।

7. विभाग द्वारा दिनांक 31 मई, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाटरशेड क्षेत्र में कार्य कर रहे तीन राज्यों और प्रमुख संस्थानों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत मॉडल वाटरशेड के लिए फ्रेमवर्क पर विचार-विमर्श किया गया।

*****